उत्तर प्रदेश सरकार
कार्मिक अनुभाग-1
संख्या-3/2026/268/सैंतालीस-का-1-2026-13(1)/2026
लखनऊ: दिनांक 05 मई, 2026

दिनांक 05 मई, 2026 को प्रख्यापित उत्तर प्रदेश लोक सेवा ('भर्ती का वर्ष' की परिभाषा का प्रतिस्थापन) नियमावली, 2026 की प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2. प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त विभागाध्यक्ष / प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त मण्डलायुक्त / जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
5. महाधिवक्ता, उत्तर प्रदेश।
6. प्रमुख सचिव, विधान सभा/ विधान परिषद, उत्तर प्रदेश।
7. सचिव, लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
8. सचिव, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
9. मीडिया सलाहकार, मा० मुख्यमंत्री जी।
10. निदेशक, सूचना विभाग, उत्तर प्रदेश।
11. सचिवालय के समस्त अनुभाग।
12. निदेशक, राजकीय मुद्रणालय ऐशबाग, लखनऊ को इस अभ्युक्ति के साथ प्रेषित कि इस अधिसूचना को उत्तर प्रदेश असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट के भाग-5 खण्ड-क में दिनांक 05 मई, 2026 की तिथि में प्रकाशित करते हुए मुद्रित अधिसूचना की 1000 प्रतियां कार्मिक अनुभाग-1 को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
13. गार्ड फाईल ।

आज्ञा से,
विजय कुमार
विशेष सचिव ।

http://gazettes.up.nic.in

उत्तर प्रदेश सरकार
कार्मिक अनुभाग-1
संख्या-3/2026/268/सैंतालीस-का-1-2026-13(1)/2026
लखनऊ: दिनांक 05 मई, 2026

अधिसूचना
प्रकीर्ण

संविधान के अनुच्छेद-309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके, राज्यपाल, सुसंगत सेवा नियमावलियों में, 'भर्ती का वर्ष' की परिभाषा को प्रतिस्थापित करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:

उत्तर प्रदेश लोक सेवा ('भर्ती का वर्ष' की परिभाषा का प्रतिस्थापन) नियमावली, 2026

संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ एवं लागू होना

1-(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश लोक सेवा ('भर्ती का वर्ष' की परिभाषा का प्रतिस्थापन) नियमावली, 2026 कही जायेगी।

(2) यह 01 जनवरी, 2027 से प्रवृत्त होगी।

(3) यह संविधान के अनुच्छेद-309 के परन्तुक के अधीन राज्यपाल द्वारा बनायी गई समस्त सेवा नियमावलियों पर लागू होगी।

अध्यारोही प्रभाव

2- इस नियमावली के उपबन्ध संविधान के अनुच्छेद-309 के परन्तुक के अधीन राज्यपाल द्वारा बनाए गए किन्हीं अन्य नियमों या तत्समय प्रवृत्त आदेशों में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी प्रभावी होंगे।

परिभाषाएं

3- जब तक कि विषय या सन्दर्भ में कोई प्रतिकूल बात न हो, इस नियमावली में:-

(क) "संविधान" का तात्पर्य "भारत का संविधान" से है,
(ख) "सरकार" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार से है,
(ग) "राज्यपाल" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश के राज्यपाल से है।

भर्ती का वर्ष की परिभाषा का प्रतिस्थापन

4- संविधान के अनुच्छेद-309 के परन्तुक के अधीन राज्यपाल द्वारा बनाई गई सुसंगत सेवा नियमावलियों में, नीचे स्तम्भ-1 में दी गई 'भर्ती का वर्ष' की विद्यमान परिभाषा के स्थान पर स्तम्भ-2 में दी गई परिभाषा रख दी जायेगी, अर्थात:-

स्तम्भ-1 **विद्यमान परिभाषा**	**स्तम्भ-2** **एतद्द्वारा प्रतिस्थापित परिभाषा**
"भर्ती का वर्ष" का तात्पर्य किसी कैलेण्डर वर्ष की पहली जुलाई से प्रारम्भ होने वाली बारह माह की अवधि से है।	"भर्ती का वर्ष" का तात्पर्य किसी कैलेण्डर वर्ष की पहली जनवरी से प्रारम्भ होने वाली बारह माह की अवधि से है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

व्यावृत्ति

5-(1) इस नियमावली के प्रारम्भ होने के परिणाम स्वरूप, भर्ती वर्ष 2026-27, 01-07-2026 से 31-12-2026 तक सीमित रहेगा।

(2) इस नियमावली के प्रारम्भ होने के पूर्व, यदि किसी पद के लिए चयन हो चुका है या चयन प्रक्रिया चल रही है, तो ऐसी चयन अथवा भर्ती अप्रभावित रहेगी।

(3) इस नियमावली के प्रारम्भ होने के पूर्व यदि किसी पद के चयन के लिए विज्ञापन किया जा चुका है और चयन या भर्ती प्रक्रिया चल रही है, तो ऐसी चयन अथवा भर्ती अप्रभावित रहेगी और इस निमित्त जारी विज्ञापन के अनुसार किया जाएगा।

सुसंगत सेवा नियमावली में अन्य निबन्धनों और शर्तों का अप्रभावित रहना

6- नियम-4 के उपबन्धों के अध्यधीन सुसंगत सेवा नियमावली में अन्तर्विष्ट अन्य उपबन्ध अप्रभावित रहेंगे।

आज्ञा से,

एम0 देवराज

प्रमुख सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

IN pursuance of the provisions of clause(3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 3/2026/268/47/Ka-1-2026-13(1)/2026, dated May 05,2026.

GOVERNMENT OF UTTAR PRADESH

KARMIK SECTION-1

NOTIFICATION

Miscellaneous

No.3/2026/268/47-Ka-1-2026-13(1)/2026

Dated, Lucknow, May 05, 2026

IN exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution, the Governor is pleased to make the following rules, with a view to substitute the definition of 'year of recruitment' in the relevant service rules:

THE UTTAR PRADESH PUBLIC SERVICES (SUBSTITUTION OF THE DEFINITION OF YEAR OF RECRUITMENT) RULES, 2026

Short title, Commencement and Application

1-(1) These rules may be called the Uttar Pradesh Public Services (Substitution of the Definition of year of recruitment) Rules, 2026

(2) They shall come into force with effect from 1st January 2027.

(3) They shall apply to all service rules, made by Governor under the proviso to Article 309 of the Constitution.

Overriding effect

2- The provisions of these rules shall have effect notwithstanding anything to the contrary contained in any other rules made by the Governor under the proviso to Article 309 of the Constitution, or orders, for the time being in force.

Definitions

3- In these rules unless there is anything repugnant in the subject or context:

(a) "Constitution" means the Constitution of India;

(b) "Government" means the State Government of Uttar Pradesh;

(c) "Governor" means the Governor of Uttar Pradesh;

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

Substitution of the Definition of 'year of recruitment'

4- In the relevant service rules, made by the Governor under the proviso to Article 309 of the Constitution, for the existing definition of 'year of recruitment' set out in column-1 below, the definition as set out in column-2 shall be substituted, namely:-

Column-1 **Existing Definition**	**Column-2** **Definition as here by substituted**
"Year of recruitment" means a period of twelve months commencing on the first day of July of a calendar year.	"Year of recruitment" means a period of twelve months commencing on the first day of January of a calendar year.

Savings

5-(1) As a result of the commencement of these rules, the recruitment year 2026-27 shall be limited from 01-07-2026 to 31-12-2026.

(2) Prior to commencement of these rules, if the selection to any post has been made or the selection process is ongoing, such selection or recruitment shall remain unaffected.

(3) Prior to commencement of these rules if the advertisement for selection to any post has been made and the selection or recruitment process is ongoing, such selection or recruitment shall remain unaffected and shall be made in accordance with the advertisement issued in this behalf.

Other terms and conditions in relevant service rules remain unaffected

6- Subject to the provisions of rule-4 the other provisions contained in the relevant Service Rules shall remain unaffected.

By Order,

M. Devaraj
Principal Secretary.

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।